स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत बिना टेण्डर के 5 लाख तक के कार्य देने का प्रावधान

-ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री

जयपुर, 25 फरवरी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री रमेश चंद मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत बेरोजगार अभियन्ता को 5 लाख से नीचे तक के कार्य बिना टेंडर के दिये जा सकते है।

श्री मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक श्री सुरेश सिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अजमेर जिले में पिछले पांच वर्षों में बेरोजगार स्नातक अभियंताओं को बिना टेण्डर प्रक्रिया के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है।